

बिहार सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

संख्या-वन्य प्राणी 2/2003

/प०व० पटना-15, दिनांक-...../01/2010

बिहार राज्य वन्य प्राणी पर्षद के गठन हेतु निर्गत संकल्प संख्या वन्य प्राणी 2/2003-759 (ई०) दिनांक 12.11.2003 के क्रमांक-3 में वर्णित कोटि "राज्य विधान मंडल के तीन सदस्य" के अंतर्गत तीनों स्थान रिक्त होने के कारण, क्रमांक-4 में वर्णित गैर सरकारी संगठनों में तीन व्यक्ति तथा क्रमांक-5 में वर्णित "राज्य सरकार के द्वारा मनोनित 10 व्यक्ति जिसमें से कम से कम दो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हों" में से 7 व्यक्तियों का मनोनयन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्रम	कोटि	
क्रमांक-3	राज्य विधान मंडल के तीन सदस्य।	1- श्री कैलास बैठा, माननीय सदस्य विधान सभा, बगहा 2- श्री राजेश सिंह माननीय सदस्य विधान सभा, धनहा 3- श्री सत्यदेव नारायण आर्य, माननीय सदस्य विधान सभा, राजगीर
क्रमांक-4	राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों से मनोनित तीन व्यक्ति।	1- श्री अरविंद मिश्र, मंदार नेचर क्लब, भागलपुर 2- तरुमित्र, पटना के प्रतिनिधि 3- सेटर फॉर Environmental Education, Talteg अहमदाबाद
क्रमांक-5	राज्य सरकार द्वारा मनोनित व्यक्ति जो पर्यावरणविद्, संरक्षणविद्, पारिस्थितिकीविद् जिसमें कम से कम दो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हों।	1- श्री पी०के० सेन, भूतपूर्व मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार एवं भूतपूर्व निदेशक, टाईगर प्रोजेक्ट। 2- श्री पी० आर० सिन्हा निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून 3- प्रो० (डा०) आर० के० सिन्हा, आचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना। 4- श्री जुगनु शारदेय, सदस्य सचिव, बिहार राज्य वन्य एवं वन्य प्राणी संरक्षण समिति। 5- श्री सुरेश गुप्ता, पर्यावरणविद्, विष्णु प्रसाद गुप्ता, मेमोरियल फाउंडेशन (ट्रस्ट), मरीपुर, मुजफ्फरपुर।  अनुसूचित जनजाति सदस्य 6- श्री महेन्द्र उराँव, ग्राम+पो०- बैरिया, थाना-सेमरा, बगहा, प० चम्पारण 7- श्री नंदलाल प्रसाद पूर्व मुखिया, महासचिव थारू महासंघ, ग्राम- चम्पापुर, गनौली, बगहा (प० चम्पारण)।

- 2- क्रमांक-3 में वर्णित माननीय सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों अथवा बिहार विधान सभा/परिषद की सदस्यता अवधि, जो भी पूर्व हो, होगा।  
3- क्रमांक-4 तथा 5 में वर्णित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल संकल्प निर्गत की तिथि से तीन वर्षों का होगा।

4- संकल्प में वर्णित गैर सरकारी सदस्यों को दिये जाने वाले भत्ते सक संख्या वन्यप्राणी 2/03-759 (ई०) दिनांक 12.11.2003 के कंडिका-6 के अंतर्गत होगा।

5- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(देव नन्दन यादव)

सरकार के उप सचिव

26 (ई०)  
ज्ञापांक- वन्य प्राणी 2/2003 / प०व० पटना-15, दिनांक-27/01/2010

प्रतिलिपि :- सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार सी० जी० ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली/निदेशक, वन्यप्राणी संरक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, विहार/क्षे० गु० वन संरक्षक, पटना/ मुजफ्फरपुर/भागलपुर/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/निदेशक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना/समिति के सभी सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

(देव नन्दन यादव)

सरकार के उप सचिव